कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर(म0प्र0)

email id-centraljailnarsinghpur@gmail.com{faxno-07792-236330}

क्रमांक / 3778 /स्थापना/24 नरसिंहपुर, दिनांक 05 जुलाई, 2024

रोजगार विज्ञापन सफाईकर्मी के पद की भर्ती हेतु

केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर एवं नरसिंहपुर सर्किल के अधीनस्थ आने वाली जिला जेल एवं सब जेलों में रिक्त सफाईकर्मी (स्वीपर) के रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र सामान्य शर्तो में उल्लेखित दस्तावेजों के साथ अधीक्षक केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर के समक्ष किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 02.08.2024 सांय 05.30 बजे तक स्वयं/डाक से जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। ऑनलाईन प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम एवं वेतनमान	रिक्तियों की संख्या	वर्ग	पद का प्रकार	शैक्षणिक योग्यता
01.	सफाईकर्मी (स्वीपर)	01	अन्य पिछड़ा वर्ग	नियमित	साक्षर
		02	आर्थिक रूप से कमजोर	नियमित	साक्षर

टीप :- नियुक्ति की अन्य शर्ते एवं आवेदन का प्रारूप जेल विभाग के ई-पोर्टल https://jail .mp.gov.in अथवा केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर (म0प्र0)

कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर(म0प्र0)

email id-centraljailnarsinghpur@gmail.com{faxno-07792-236330}

सफाईकर्मी (स्वीपर) के पद की भर्ती हेतु सामान्य शर्ते

1. पद का नाम :– सफाईकर्मी (स्वीपर)
2. कार्य का विवरण :– जेल परिसर के अंदर बंदी वार्ड एवं आवासों की लैट्रिन, बाथरूम, नालियाँ, टेंक एवं चैम्बरों की सफाई व संपूर्ण जेल परिसर की साफ–सफ़ाई का कार्य।
3. आयु सीमा :– दिनांक 02.08.2024 की स्थिति में
   - I. अनारक्षित वर्ग के पुरूष हेतु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष
   - II. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष हेतु न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 38 वर्ष
   - III. किसी भी वर्ग की महिला हेतु न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 38 वर्ष
4. निवासी :– आवेदक को म0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त डिजीटल प्रमाण पत्र की सत्य प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
5. जाति प्रमाण पत्र :– जाति से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त डिजीटल प्रमाण पत्र की सत्य प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। (आरक्षित वर्ग हेतु)
6. आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र :– आर्थिक रूप से कमजोर से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त डिजीटल प्रमाण पत्र की सत्य प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
7. रोजगार पंजीयन :– आवेदक का म0प्र0 के किसी भी रोजगार कार्यालय पंजीयन में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
8. कार्य विवरण अनुसार अनुभव :– किसी भी शासकीय / अर्धशासकीय संस्था में कार्य का अनुभव प्राप्त उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. कार्य विवरण अनुसार अनुभव के आधार पर अवधि अनुसार मूल्यांकन में प्रवीणता सूची पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
10. अन्य योग्यता जैसे–वाहन चालक, प्लम्बरिंग एवं इलेक्ट्रीशियन प्रमाण–पत्रों के आधार पर मूल्यांकन में प्रवीणता सूची पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
11. शासन अनुसार जारी महिला उम्मीदवार के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का पालन नियुक्ति प्रक्रिया में किया जायेगा।
12. पात्र उम्मीदवारों को भौतिक सत्यापन हेतु मूल दस्तावेजों के परीक्षण के लिए पृथक से सूचित किया जायेगा।
13. परिवीक्षा अवधि–चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जायेगी / परिवीक्षा अवधि सफलातापूर्वक पूर्ण नही करने की स्थिति में सेवा से पृथक किया जा सकेगा। चयनित अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेंड देय होगा ।

प्रथम वर्ष	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

14. परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ शासन के नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
15. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ; 9/3/2003/नियम/चार/दिनांक 13.04.2005 के अधीन उल्लेखित निर्देश/शर्तो के अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना **(एनपीएस)** के अंतर्गत रहेगी।
16. अनर्हताः–
   (क) जिस अभ्यर्थी की दो से अधिक जिवित संतान हो, जिसमें एक जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।
   (ख) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो तथा कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पहले से ही एक पति जीवित हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
   (ग) जिस अभ्यर्थी का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष 21 वर्ष, महिला 18 वर्ष) से पूर्व कर लिया गया होगा उसे उक्त पद से आयोग्य माना जावेगा।
17. आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बगैर, आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
18. अभ्यर्थी के चयन उपरांत यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
19. अभ्यर्थी को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 02/08/24 के पूर्व डाक द्वारा या सीधे कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
20. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अधिक उम्र/योग्यता के अभ्यार्थी को वरीयता प्रदाय की जावेगी ।
21. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ सी 3–15/2012/1/3 भोपाल दिनांक 24/11/2012 के अनुक्रम मे यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जायेगे यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में अभ्यार्थी शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी ।
22. भर्ती प्रकिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित होगा ।
23. अभ्यार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचारण में होने की दशा में उसे अयोग्य माना जावेगा ।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर (म0प्र0)